

# कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर (छ0ग0)

☎07831-273091, 273092 (Office) 273093 (fax) email :- dfobalrampur@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./2025/ 9279

बलरामपुर दिनांक/24/10/2025

प्रति,

कार्य पालन अभियंता,  
लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग,  
परिक्षेत्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

विषय :- Diversion of 102.324 ha. forest land for non-forest purpose under forest (Conservation Act, 1980) proposed for Widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj 2-lane/4-lane National Highway 343, in Balrampur and Surguja District in State of Chhattisgarh.

(FP/CG/ROAD/147299/2021)

संदर्भ :- (1) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्र/वन(सं एवं सं) अ), अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-845/200031 नवा रायपुर दिनांक 13.10.2025

---:000:---

विषयांतर्गत Diversion of 102.324 ha. forest land for non-forest purpose under forest (Conservation Act, 1980) proposed for Widening of existing road from Ambikapur to Ramanujganj 2-lane/4-lane National Highway 343, in Balrampur and Surguja District in State of Chhattisgarh वन परिक्षेत्र बलरामपुर, राजपुर, रामानुजगंज एवं सरगुजा वनमण्डल के वन परिक्षेत्र अम्बिकापुर अंतर्गत 102.324 हे. का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव में अधिरोपित शर्त क्रमांक 01 से 27 के अधीन सैद्धांतिक की स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिरोपित शर्त क्रमांक 02 अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं अधिरोपित शर्त क्रमांक 07 अनुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि कैम्पा खाते में जमा किया जाना है। जिस हेतु आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक /भू-प्रबंध/विविध/115-25/1103 रायपुर दिनांक 01.05.2024 के द्वारा निर्धारित दर राशि 122088859/- एवं मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर के अनुमोदित दर अनुसार प्रत्याशा मूल्य राशि रु. 124920540/- कुल राशि रु. 24,70,09,399/- (रु. चौबीस करोड़ सत्तर लाख नौ हजार तीन सौ निम्नान्धे मात्र) वेब पोर्टल पर ई-चालान जनरेट कर जमा किया गया है। संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अंतर की राशि जमा कराया जाना है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	प्रभावित वन भूमि	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निर्धारित दर राशि रु.11,69,680/- प्रति हे.)	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (वित्तीय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निर्धारित दर राशि रु.12,86,648/- प्रति हे.)	अंतर की राशि (रु. में)
1	104.378 ha.	122088859	134297745	12208886

अतः शासनादेश के तहत प्रत्यावर्तन के बदले ली जाने वाली वैकल्पिक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु अंतर की राशि रु 1,22,08,886/- (रु. एक करोड़ बाईस लाख आठ हजार आठ सौ छियासी मात्र) परिवेश वेब पोर्टल पर ई-चालान जनरेट कर जमा करते हुए भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप-कार्यालय अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर (छ0ग0) का पत्र क्रमांक/FC-III/IROCH-06/2023/82 दिनांक 06.10.2025 द्वारा अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन मय वचन पत्र सहित पृथक-पृथक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर

बलरामपुर, दिनांक/24/10/2025

पृ.क्रमांक/मा.चि/ 9280  
प्रतिलिपि-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ0ग0 रायपुर को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक, सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.) को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर